राजस्व आदेश अनुवृत्ति – पत्र

(1)	(2)	(3)
30.06.2025	–प्रकरण पेश । –प्रकरण में वनपरिक्षेत्राधिकारी बलौदा तथा राजस्व निरीक्षक बलौदा का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त। – प्रकरण में पृथक से आदेश पारित किया जाकर प्रकरण में संलग्न। –पक्षकार टीप करे। तत्पश्चात प्रकरण नस्तीबद्धकर दा0 द0 हो। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर(अकलतरा/बलौदा)	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अकलतरा जिला–जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

प्ररूप–ग

(नियम 3(2)देखिये)

अनुज्ञा

पृ. / 1475 / अ.वि.प्र. / शेडसी / 2025

अकलतरा दिनांक 30.06.2025

प्रति,

शेख गुलजार पिता शेख बहार
ग्राम बलौदा तहसील बलौदा

विषयः– प्राकृतिक /रोपित से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

विषयांतर्गत आवेदक शेख गुलजार पिता शेख बहार निवासी ग्राम बलौदा तहसील बलौदा जिला–जांजगीर–चांपा छ.ग. के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम जावलपुर तहसील बलौदा में आवेदक के हक एवं स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 3716/1 एवं 3717/2 कुल रकबा 0.833 हे. भूमि अवस्थित है जिस पर 17 नग सागौन का वृक्ष रोपित किया गया है उक्त 17 नग सागौन के वृक्ष को काटे जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभिलेख एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र बलौदा एवं राजस्व निरीक्षक बलौदा के प्रतिवेदन के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुचता /पहुचती हूँ कि ग्राम जावलपुर तहसील बलौदा स्थित भूमि खसरा नं. 3717/2 में अवस्थित 11, खसरा नं. 1716 में अवस्थित 01 नग सागौन के वृक्ष में से 12 नग सागौन के वृक्ष को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधो का उल्लंघन नही हो रहा है। अतः उक्त वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1969 (क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नही किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुज्ञा आवेदन दिनॉक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी। आवेदक को उक्त वृक्ष की कटाई वन विभाग से कराने की अनुमति दी जाती है।

(हस्ताक्षर)

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
जांजगीर (अकलतरा/बलौदा)

पृ.क्र. / 1476 / अ.वि.प्र. / शेडसी / 2025

अकलतरा दिनांक 30.06.2025

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला–जांजगीर–चांपा छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेशित।
2. वनमंडाधिकारी वनमंडल चांपा की ओर सुचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु।
3. वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र बलौदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार बलौदा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

(हस्ताक्षर)

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
जांजगीर (अकलतरा/बलौदा)

Scanned with OKEN Scanner